उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3

संख्या-150/2026/413के-2/22-3-25-17(1100)/23

लखनऊ : दिनांक: 27 अप्रैल, 2026

आदेश

उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल, भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय कारागार, वाराणसी में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी कमलेश सिंह (बन्दी संख्या-220/2014) पुत्र स्व0 राजबहादुर सिंह, निवासी ग्राम-नरवर पट्टी, थाना-राजे सुल्तानपुर, जनपद-अम्बेडकरनगर, जिन्हें (1) सत्र परीक्षण संख्या-149/2001 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 307/34 तथा (2) सत्र परीक्षण संख्या-179/2001 आयुध अधिनियम की धारा-3/25 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक-1), अम्बेडकरनगर के आदेश दिनांक 21-11-2006 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया, बंदी द्वारा जमानत/मुचलके पर रिहाई दिनांक 25-06-2022 तक भोगी गई 16 वर्ष, 03 माह की अपरिहार सजा तथा 20 वर्ष, 03 दिन की सपरिहार सजा, जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 25-06-2022 तक 55 वर्ष, 10 माह, 13 दिन की आयु, संतोषजनक जेल आचरण होने तथा दयायाचिका समिति द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा प्रदत्त आजीवन कारावास के सापेक्ष भोगी गई सजा, जेल में निरूद्धि तक संतोषजनक जेल आचरण एवं पुलिस अधीक्षक/जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकर नगर द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने का कोई ठोस एवं तथ्यात्मक आधार अंकित नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक विचारोपरान्त शेष सजा का परिहार करते है तथा यह आदेश देते हैं कि यदि उक्त बंदी को किसी अन्य वाद में निरूद्ध रखा जाना वांछित न हो तो उसे अपनी शेष दण्डावधि में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर के संतोषानुसार दो जमानतें तथा उतनी ही धनराशि का एक निजी मुचलका प्रस्तुत करने पर बन्दी को कारागार से मुक्त कर दिया जाय।

कमलेश कुमार
उप सचिव।

संख्या व तदनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अम्बेडकरनगर।

2- पुलिस अधीक्षक, अम्बेडकरनगर।

3- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, वाराणसी।

4- नोडल अधिकारी/अधीक्षक जिला कारगार, गाजियाबाद को विशेष अनुज्ञा याचिका (किमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-4/2021 पालिसी स्ट्रेटजी फार ग्राण्ट ऑफ बेल में मा0 उच्चतम न्यायालय में पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

5- निजी सचिव, मा0 मंत्री/राज्यमंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ममता श्रीवास्तव
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in